**आरक्षित**

# नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 329/2017

अकबर और अन्य ... पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ... प्रत्यर्थीगण

उपस्थितः–

श्री सिद्धार्थ साह, पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता।

श्री ललित मिगलानी, ए.जी.ए.

श्री कुर्बान अली, प्रत्यर्थी नंबर 2 के विद्वान अधिवक्ता।

## निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी, (मौखिक)

इस पुनरीक्षण में दिनांक 26.09.2017 के पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसे 2013 के सत्र विचारण संख्या 199, राज्य बनाम मुस्लिम और अन्य में प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा पारित किया गया था। इसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (संहिता) की धारा 319 के अन्तर्गत एक आवेदन प्रत्यर्थी संख्या 03 श्रीमती सितारा (सूचना

दाता) द्वारा दर्ज किया गया था। जिसकी अनुमति दी गयी और पुनरीक्षणकर्ताओ को पूर्व अभियोजित अभियुक्त के साथ 498 ए, 323, 324, 504, 506, 307, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के लिए मुकदमे का विचारण करने के लिए तलब किया गया है।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

3. इस मामले की उत्पत्ति एक प्राथमिकी से हुई, जो सूचनादाता द्वारा दिनांक 26.03.2013 को दर्ज की गयी। इसके अनुसार, प्राथमिकी दर्ज करने से करीब आठ वर्ष पूर्व सूचनादाता और मुस्लिम की शादी हुई थी। सूचनादाता के ससुराल वाले दिए गए दहेज से खुश नहीं थे। सूचनादाता को दहेज की मांग के संबंध में प्रताड़ित एवं परेशान किया गया। पुनरीक्षणकर्ताओ और अन्य लोगों ने उत्पीड़न किया और अतिरिक्त दहेज की मांग की। सूचनादाता के पति के विवाहेत्तर संबंध थे। एफआईआर काफी विस्तार से दी गयी है। इसमें यह भी दर्ज है कि 25—03—2013 को सुबह लगभग 6:00 बजे सूचनादाता को उसके पति ने मिट्टी का तेल डालकर मारने की कोशिश की थी। वास्तव में, एफआईआर में दर्ज है कि सूचनादाता के पति ने उसे जलाने की कोशिश की थी। पुनरीक्षणकर्ताओ ने उस पर हमला भी किया। यह एफआईआर है, जिसमें शुरू में, जांच के बाद, तीन व्यक्तियों, अर्थात् मुस्लिम, मुमताज और इंततेल के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में, अनवरी, फरजाना और गुलशन के खिलाफ भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में उनका विचारण चल रहा था।

4. यह ध्यान देने योग्य है कि हालांकि, पुनरीक्षणकर्ताओ के खिलाफ एफआईआर भी थी लेकिन उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया।

5. संज्ञान लेने के चरण में, सूचनादाता ने अदालत के समक्ष इस प्रार्थना के साथ एक आवेदन दायर किया कि पुनरीक्षणकर्ताओ को भी तलब किया जा सकता है और उनके खिलाफ भी संज्ञान लिया जा सकता है। सूचनादाता के इस आवेदन को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रूड़की जिला हरिद्वार की न्यायालय द्वारा 24.08.2013 के मुकदमा अपराध संख्या 3629, राज्य बनाम अनवरी और अन्य को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 24.08.2013 के इस आदेश को सूचनादाता द्वारा 2013 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 395 में चुनौती दी गई थी, जिसे 15.03.2014 को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रूड़की, जिला हरिद्वार के द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह मामला यही पर समाप्त हो गया था।

6. इस मामले में सूचनादाता पीडब्ल्यू 1 श्रीमती सितारा का बयान 24.11.2016 को दर्ज किया गया था। इसके बाद, सूचनादाता द्वारा संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिस पर पूर्व अभियोजित अभियुक्तों द्वारा आपत्ति जताई गयी थी।

आक्षेपित आदेश द्वारा, पुनरीक्षणकर्ताओ को तलब किया गया है। यह आदेश यहां आक्षेपित किया गया है।

7. पुनरीक्षणकर्ताओ के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पुनरीक्षणकर्ताओ के नाम एफआईआर में थे, लेकिन विवेचक को उन्हें आरोपित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले। यह तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 2 श्रीमती फरमानी सूचनादाता श्रीमती सितारा की भाभी हैं;पुनरीक्षणकर्ता नंबर 2 श्रीमती फरमानी विवाहित हैं और वह अपने पति समून के साथ एक अन्य गांव में रहती हैं, जो पुनरीक्षणकर्ता नंबर 3 हैं। पुनरीक्षणकर्ता नंबर 1 अकबर श्रीमती फरमानी के ससुर हैं, जो पुनरीक्षणकर्ता नंबर 2 हैं। यह तर्क दिया गया है कि उन्हें सिर्फ उत्पीड़न के लिए फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि केवल पीडब्ल्यू 1 श्रीमती सितारा के बयान के आधार पर, याचिकाकर्ता को तलब करने का पर्याप्त आधार नहीं है कि उनका पूर्व अभियोजित अभियुक्त के साथ मुकदमें में विचारण किया जाये।

8. अपने अभिकथनों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने विधि के सिद्धांतों पर भरोसा किया है, जैसा कि हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2014) 3 एससीसी 92 के मामले में निर्धारित किया गया है।

9. हरदीप सिंह के मामले में (सुप्रा) वास्तव में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 319 के आवेदन के संबंध में विभिन्न प्रश्न तैयार किए गए थे। प्रश्न संख्या (IV) इस प्रकार है। संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत शक्ति को प्रयोग करने के लिए संतुष्टि का स्तर क्या होगा। इस पर विचार करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 106 में निम्नानुसार अवधारित किया किः—

"106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि हालांकि न्यायालय के समक्ष पेश किए गए सबूतों से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि जिरह के आधार पर परीक्षण किया जाए, इसके लिए केवल उसकी सहअपराध की संभावना की तुलना में बहुत सुदृढ़ सबूत की आवश्यकता होती है। जिस परीक्षण को लागू किया जाना है, वह प्रथम दृष्टया मामला है जैसा कि आरोप तय करते समय किया गया था, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, यदि खारिज नहीं किए जाते हैं, तो दोषसिद्धि का कारण बनेंगे। इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का उपयोग करने से बचना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 319 के प्रावधान का उद्देश्य है कि "साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ना होने के बाबजूद भी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है" शब्दों से स्पष्ट है "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है"। प्रयोग किए गए शब्द "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है" नहीं हैं।

इसलिए, दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत न्यायालय के लिए अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई राय बनाने का कोई आधार नहीं है।

10. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पैरा 117.5 में भी इस मुद्दे का उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार दिया गया हैः–

"हालांकि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 319 (4) (ख) के अन्तर्गत अभियुक्त को बाद में अभियुक्त बनाया गया था जैसे कि वह एक अभियुक्त था जब न्यायालय ने शुरू में अपराध का संज्ञान लिया था, सीआरपीसी की धारा 319 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को तलब करने के लिए जिस स्तर की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, वह आरोप तय करने के समान होगी।. मूल अभियुक्त और बाद के अभियुक्त को तलब करने के लिए संतुष्टि के स्तर में अंतर इस तथ्य के कारण है कि मूल अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और इस तरह के मुकदमे के दौरान नए समन किए गए अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त आधार का खुलासा किया जाता है। किसी अभियुक्त को नए सिरे से तलब करने से मुकदमे में देरी होगी, इसलिए अभियुक्त को तलब करने (मूल और बाद में) के लिए संतुष्टि का स्तर अलग होना चाहिए।

11. दूसरी ओर, सूचनादाता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि पुनरीक्षणकर्ताओ ने सूचनादाता को उसके ससुराल में भी परेशान और प्रताड़ित किया। विवेचक ने पुनरीक्षणकर्ताओ के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया, लेकिन पीडब्ल्यू 1 श्रीमती सितारा ने पुनरीक्षणकर्ताओ के खिलाफ बयान दिया है। पीडब्ल्यू 1 श्रीमती सितारा का अभिकथन संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत पुनरीक्षार्थीओं को तलब करने के लिए पर्याप्त है। यह भी तर्क दिया गया है कि इस स्तर पर, न्यायालय को सबूतों की व्याख्या या चर्चा नहीं करनी चाहिए। प्रथम दृष्टया मामले को देखा जाना चाहिए।

12. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि परीक्षण सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि आक्षेपित आदेश एक अन्र्तवर्ती आदेश है।

13. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण सुनवायी योग्य नहीं है।

14. ओम कुमार धनखड़ बनाम राज्य हरियाणा और अन्य (2012) 11 एससीसी 252, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, अन्य बातों के साथ–साथ, देखा कि ''सुस्थापित विधि के अनुसार'', यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देने वाला आदेश पूरी तरह से अन्तरिम है और इसलिए, धारा 397 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत रोक लागू

होगी। दूसरी ओर, इसे मध्यवर्ती या अर्ध–अंतिम माना जाना चाहिए और इसलिए, धारा 397 के अन्तर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग इसके विरूध किया जा सकता है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपर्युक्त विधि को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण पोषणीय है।

प्रश्न यह है कि क्या संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ताओ को समन करने के लिए पर्याप्त आधार है।

16. एक आपराधिक मामले के विभिन्न चरणों में संतुष्टि के विभिन्न स्तर की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक तलब करने के चरण में, संतुष्टि का मानक ''प्रथम दृष्टया मामला" होता है। लेकिन जब आरोप तय किए जाते हैं, तो आवश्यक संतुष्टि का स्तर इससे अधिक होता है। कहने की जरूरत नहीं है, अंतिम चरण में, अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे मामले को साबित करना होगा।

17. संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत, एक व्यक्ति को अभियोजित अभियुक्त के साथ मुकदमे के विचारण करने के लिए तलब किया गया। इसलिए, हरदीप सिंह के मामले में (सुप्रा), माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि धारा 319 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को तलब करने की संतुष्टि पर साक्ष्य उस व्यक्ति का सह–अपराधी होने की संभावना से कहीं अधिक सुदृढ़ होना चाहिए। परिक्षण प्रथम दृष्टया मामले से कही अधिक है। जैसा कि आरोप तय करते समय प्रयोग किया गया था, लेकिन इस हद तक संतुष्टि है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि हो सकती है।

18. हरदीप सिंह के मामले में (सुप्रा), माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 117.5 में, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, मूल अभियुक्त और उसके बाद के अभियुक्त को तलब करने के लिए संतुष्टि की स्तर में अंतर के कारण दिए हैं और निर्णय के अनुसार अंतर क्या है? न्यायालय ने कहा, 'इस तथ्य के मद्देनजर कि मूल अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और इस तरह की सुनवाई के दौरान नए समन किए गए अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य का खुलासा किया जाता है. किसी आरोपी को नए सिरे से तलब करने से मुकदमे में देरी होगी, इसलिए अभियुक्तो को तलब करने (मूल और बाद में) के लिए संतुष्टि की स्तर अलग होना चाहिए।

19. किसी व्यक्ति को तलब करना कोई नियमित बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को बुलाने के लिए दो गवाह ला सकता है। किसी भी तरह बयानों की संभावना देखी जानी चाहिए।

20. पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य, (1998) 5 एससीसी 749, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य बातों के साथ–साथ, विचार किया कि 'आपराधिक मामले में अभियुक्त को तलब करना गंभीर मुद्दा है। आपराधिक विधि को निश्चित रूप से हमेशा सक्रिय नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता को आपराधिक विधि को लागू करने के लिए शिकायत में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए केवल दो गवाहों को लाना होगा। ऐसा नहीं है कि अभियुक्त को तलब करने से पहले प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करते समय मजिस्ट्रेट मूक दर्शक बना रहता है। मजिस्ट्रेट को अभिलेख पर लाए गए सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी।

21. के. सुब्बा राव और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य, (2018) 14 एससीसी 452 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया कि "न्यायालयों को वैवाहिक विवादों और दहेज हत्याओं से संबंधित अपराधों में दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही में सावधानी बरतनी चाहिए। पति के रिश्तेदारों को सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपराध में उनकी भागीदारी के विशिष्ट रूप से नहीं बन जाते।

22. रमेश और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2005) 3 एससीसी 507 के मामले में, यह माना गया था कि "उसकी भाभी के खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद आरोप सूचनादाता की चिंता को दर्शाते हैं कि वह पति के अधिक से अधिक रिश्तेदारों को शामिल करना चाहती है।

23. गीता मल्होत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2012) 10 एससीसी 741 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर विधि पर चर्चा करते हुए कहा कि "परन्तु वैवाहिक विवाद में सक्रिय भागीदारी के आरोप के बिना परिवार के सदस्यों के नामों का केवल आकस्मिक संदर्भ है और इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि वैवाहिक विवाद में होने वाले घरेलू झगड़े में घर के पूरे परिवार के सदस्यों को शामिल करने की प्रवृत्ति होती है, खासकर अगर यह शादी के तुरंत बाद होता है। इस मामले में उनके खिलाफ संज्ञान लेने को उचित आधार नहीं ठहराया।

24. सूचनादाता की शादी गांव महमूदपुर निवासी मुस्लिम से हुई थी। जैसा कि कहा गया है, पुनरीक्षणकर्ता संख्या 2 श्रीमती फरमानी मुस्लिम की विवाहित बहन है। पुनरीक्षणकर्ता नंबर 1 अकबर उनके ससुर हैं और पुनरीक्षणकर्ता नंबर 3 समून उनके पति हैं। वे एक अलग गांव मकरबपुर के रहने वाले हैं। जहां तक पुनरीक्षणकर्ताओ का संबंध है, एफआईआर में लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं। कुछ भी विशिष्ट नहीं है। विवेचक को पुनरीक्षणकर्ताओ की संलिप्तता का पता नहीं चला। न्यायालय के समक्ष अपने बयान में, पीडब्ल्यू 1 श्रीमती सितारा ने पुनरीक्षणार्थीओं के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं, लेकिन वे प्रकृति में सामान्य और अस्पष्ट हैं।

25. पुनरीक्षणकर्ता अलग–अलग गांवों के निवासी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पति की विवाहित बहन को मामले में जोड़ने के लिए सूचनादाता ने श्रीमती फरमानी, उसके पति और उसके ससुर का नाम लिया है। वे सभी पुनरीक्षणकर्ता हैं। पीडब्ल्यू 1 श्रीमती सितारा के बयान को पढ़ने से भी कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। यहॉ संतुष्टि का स्तर इससे अधिक होना चाहिए, जिसकी अपेक्षा आरोप तय करने के चरण में की जाती है। लेकिन, तत्काल मामले में भी इसकी कमी है। प्रत्यक्षतः पुनरीक्षणकर्ताओ के खिलाफ मामला नहीं बनता। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि पुनरीक्षणकर्ताओ को बुलाने का कोई कारण नहीं है। सूचनादाता द्वारा दायर संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अनुमति देकर एक त्रुटि की है।

इसलिए, पुनरीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए।

26. पुनरीक्षण की अनुमति है।

27. दिनांक 26.09.2017 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। सूचनादाता द्वारा संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी।

02.11.2022

जितेंद्र